रजि. नं. 1231/2011

www.aarakshanmanch.com, E-mail: aarakshanmanch@gmail.com

अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान

डॉ. अम्बेडकर भवन, 13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.)

मा. भंवरलाल मेघवाल	यादराम मीणा	जे.पी.विमल (IAS Retd.)	अनिल गोठवाल (RPS Retd.)	ई. आशाराम मीणा
(माननीय मंत्री राज. सरकार)	(पूर्व मुख्य न्यायाधीश)	अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	महासचिव
संरक्षक	संरक्षक	मो. 9414027400	मो. 9414248454	मो. 9413380388

• उपाध्यक्ष:
बी.एल. बैरवा
राजपाल मीणा
अशोक सामरिया
जे.के. महरडा
हनुमान सिरसी
हरसहाय मीणा
भैरूलाल मीणा
• कोषाध्यक्ष:
अशोक मीणा
• सचिव:
प्रभुलाल बैरवा
• संयुक्त सचिव:
एस.के. बैरवा
श्रीमती अंजूरानी कराडिया
गणपति लाल
भगवान सिंह
• संगठन सचिव:
रामचरण महावर
करतार सिंह
प्रकाश डगला
लक्ष्मीनारायण वर्मा
नरेन्द्र अवस्थी
रामरूप मीणा
रविन्द्र जाटव
• विधि प्रकोष्ठ:
जी.एस. सोमावत
सतीश कुमार
सतपाल चांदोलिया
बाबूलाल बैरवा
आर.डी. मीणा
रमेश विमल
• महिला प्रकोष्ठ:
श्रीमती गोमा सागर
श्रीमती अलका वर्मा
• प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ:
रणजीत जाटव
सत्यनारायण जलुथरिया
छुट्टन लाल मीणा
• संभागीय कोर्डिनेटर:
बी.एल. भाटी (जोधपुर)
चेतराम रामपुरिया (अजमेर)
शैलेन्द्र चौहान (उदयपुर)
मनोहर लाल मीणा (कोटा)
करण सिंह जाटव (भरतपुर)
पी.एल. बुटोलिया (जयपुर)

क्रमांक........................ दिनांक : 5.10.2020

महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली

<u>विषय – उत्तर प्रदेश के हाथरस में अनु. जाति की लड़की के साथ हुए अमानवीय अत्याचार एवं गैंगरेप के दोषियों के विरूद्व कडी कार्यवाही करने तथा पीडित परिवार को राहत दिलाने बाबत।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन कर महामहिम के ध्यान में यह लाना चाहते हैं कि 14 सितम्बर 2020 को ग्राम बलगढ़ी थाना चंदपा जिला हाथरस की अनुसूचित जाति की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ सवर्ण ठाकुर जाति के संदीप ठाकुर, लवकुश ठाकुर, रवि ठाकुर और रामू ठाकुर ने मानवता को शर्मशार करते हुए निर्दयता से मनीषा वाल्मीकि के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया इतना ही नही पीडिता अपनी जुबान से घटना की जानकारी किसी को नही दे सके अतः उसकी जीभ काट दी, गर्दन तथा रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी।

महोदय, पुलिस प्रशासन तथा शासन का व्यवहार भी इस मामले में पूर्णतया भेदभाव पूर्ण रहा क्योकि पीडिता का उपचार एम्स हॉस्पिटल में न करवाकर दिल्ली के सफरदगंज अस्पताल में करवाया जिसके कारण पीडिता का सही व उच्च कोटि का उपचार नहीं हो सका।

महोदय, पीडिता की हालत इस कदर कर दी गई कि कुछ दिन उपरान्त उसने दम तोड दिया। इतना ही नही पुलिस ने संगीन व उचित धाराओं में मामला दर्ज नही कर प्रकरण को दबाने का आपराधिक कार्य किया।

महोदय आपको विदित है कि हमारी भारतीय परम्परा के अनुसार रात्रि में किसी भी समाज में अंतिम संस्कार नही किया जाता है। लेकिन राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन द्वारा बिना परिवार जनों को बताऐ व शामिल किए बिना ही रात के अंधेरे में शव को जला दिया। इसमें शासन एवं प्रशासन की कार्यवाही संदेहास्पद जान पडती है ऐसा लगता है कि राज्य सरकार द्वारा दोषियों को इसलिए बचाने के प्रयास किए जा रहे कि वे सवर्ण वर्ग तथा मुख्यमंत्री की जाति के हैं।

इस घटना से देश के समूचे अनुसूचित जाति जन जाति वर्ग में भय तथा रोष व्याप्त है तथा सरकार के असंवेदनशील कार्य के कारण कानूनी व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए है।

महोदय, आपके परिज्ञान में यह भी लाना चाहते हैं कि वर्तमान में अनुसूचित जाति जन जाति वर्ग के साथ पूरे देश में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है उनके साथ अत्याचार, अन्याय व दुष्कर्म की घटनाऐं बढ रही हैं। देश की आजादी के 73 वर्ष बाद

कार्यकारिणी सदस्य : श्री दिनेश चंद, जगराम मीणा, महेन्द्र वर्मा, किशन लाल एदलपुर, नवल किशोर बैरवा, होती लाल मीणा, कैलाश मीणा, सुभाष राठौड़, श्रीनारायण चन्द्रावल, डॉ. विजय लाल बैरवा, दीपचंद नागर, महेश कोयला, कैलाश मीणा, रमेश चन्द्र मीणा, महावीर प्रसाद खडकवाल, नीरज तौंगरिया, रामस्वरूप मीणा, अशोक कुमार मीणा, लक्ष्मीनारायण बैरवा
युवा प्रकोष्ठः जगमोहन मीणा, सोनू राम मीणा, सुभाष वर्मा, राजेश, भंवर लाल

Scanned with CamScanner

रजि. नं. 1231/2011

www.aarakshanmanch.com, E-mail: aarakshanmanch@gmail.com

अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान

डॉ. अम्बेडकर भवन, 13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.)

मा. भंवरलाल मेघवाल	यादराम मीणा	जे.पी.विमल (IAS Retd.)	अनिल गोठवाल (RPS Retd.)	ई. आशाराम मीणा
(माननीय मंत्री राज. सरकार)	(पूर्व मुख्य न्यायाधीश)	अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	महासचिव
संरक्षक	संरक्षक	मो. 9414027400	मो. 9414248454	मो. 9413380388

• **उपाध्यक्ष:** बी.एल. बैरवा, राजपाल मीणा, अशोक सामरिया, जे.के. महरडा, हनुमान सिरसी, हरसहाय मीणा, भैरूलाल मीणा

• **कोषाध्यक्ष:** अशोक मीणा

• **सचिव:** प्रभुलाल बैरवा

• **संयुक्त सचिव:** एस.के. बैरवा, श्रीमती अंजूरानी कराडिया, गणपति लाल, भगवान सिंह

• **संगठन सचिव:** रामचरण महावर, करतार सिंह, प्रकाश डगला, लक्ष्मीनारायण वर्मा, नरेन्द्र अवस्थी, रामरूप मीणा, रविन्द्र जाटव

• **विधि प्रकोष्ठ:** जी.एस. सोमावत, सतीश कुमार, सतपाल चांदोलिया, बाबूलाल बैरवा, आर.डी. मीणा, रमेश विमल

• **महिला प्रकोष्ठ:** श्रीमती गोमा सागर, श्रीमती अलका वर्मा

• **प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ:** रणजीत जाटव, सत्यनारायण जलुथरिया, छुट्टन लाल मीणा

• **संभागीय कोर्डिनेटर:** बी.एल. भाटी (जोधपुर), चेतराम रामपुरिया (अजमेर), शैलेन्द्र चौहान (उदयपुर), मनोहर लाल मीणा (कोटा), करण सिंह जाटव (भरतपुर), पी.एल. बुटोलिया (जयपुर)

क्रमांक .... दिनांक 3.10.2020

भी यह वर्ग गुलामी का जीवन जी रहा है उनको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार आज भी प्राप्त नही है क्योंकि सरकारें संविधान के अनुसार पूर्ण रूप से कार्य नही कर रहीं हैं।

अतः **अनुसूचित जाति जन जाति आरक्षण मंच राजस्थान** निवेदन करता है कि–

1. उक्त प्रकरण को फास्ट ट्रैक अदालत सुनवाई कराकर दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाये।
2. पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता शीघ्र प्रदान की जावे।
3. पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाऐ।
4. दाह संस्कार बिना परिवार की अनुमति के रात के अंधेरे में किया गया है, जिम्मेदार एवं असवेंदनशील पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही की जाऐ।
5. भविष्य में देश में ऐसी घटनाओ की पुनरावर्ती ना हो इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाऐ।

अनुसूचित जाति जन जाति आरक्षण मंच राजस्थान आपसे अपेक्षा करता है कि उक्त मांगो के सम्बन्ध में उत्तरप्रदेश सरकार व गृह मंत्रालय भारत सरकार को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश जारी करेंगे।

सादर।

भवदीय

(आशाराम मीणा)
महासचिव

3.10.20
(जे.पी.विमल)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि–राजस्थान के अनु.जाति,जाति के माननीय सांसद व विधायक महोदय को भेजकर निवेदन है कि राज्य व देश में अनुसूचित जाति जन जाति के साथ देश में जो आए दिन अत्याचार हो रहें है उनकी और राज्य व केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करें।

(आशाराम मीणा)
महासचिव

3.10.2020
(जे.पी.विमल)
अध्यक्ष

Scanned with CamScanner